गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.11.2016 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की दिनांक 21.10.2016 की स्थगित बैठक दिनांक 10.11. 2016 को अपरान्ह 4.30 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही –

01.	प्रो0 अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्षा
02.	प्रो0 जे.एस. दांगी	सदस्य
03.	प्रो0 अनुपमा सक्सेना	सदस्य
04.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
05.	प्रो. विशन सिंह राठौड़	सदस्य
06	प्रो. मुकेश कुमार सिंह	सदस्य
07.	प्रो. मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
08.	डॉ. रेणु भट्ट	सदस्य
09.	डॉ0 रश्मि अग्रवाल	सदस्य
10.	डॉ0 एम.सी. राव	सदस्य
11.	डॉ0 राकेश पाण्डेय	सदस्य
12.	प्रो. व्ही.डी. रंगारी	विशेष आमंत्रित
13	प्रो. बी.एन. तिवारी, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

विषय क्र0–01. **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.08.16 एवं 07.10.16 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.08.16 एवं 07.10.16 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्र0–02. **गुरू घासीदास विश्वविद्यालय छात्रकल्याण निधि संचालन समिति की बैठक दिनांक 19.08.2016 के कार्यवृत्त अनुमोदन पर विचार करना।**

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय छात्रकल्याण निधि संचालन समिति की बैठक दिनांक 19.08.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र0–03. **ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग में अध्ययन मण्डल के द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार करना।**

ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 12.04.2016 में पारित में अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

विषय क्र0–04. **सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 16 मई 2016 के कार्यवृत्त अनुमोदन पर विचार करना।**

सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 16.05..2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

Rsmi

विषय क्र0–05. श्री मयंक जैन, बी.फार्मा अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करने पर विचार करना।

स्थायी समिति ने यह अनुभव किया कि प्रस्तुत प्रकरण को विस्तार से प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है। अतः निर्णय लिया गया कि –

1. छात्र श्री मयंक जैन का प्रकरण परीक्षा परिणाम की जानकारी आदि को उसके कालानुक्रम में व्यवस्थित कर प्रस्तुत किया जाये।
2. कालानुक्रम में व्यवस्थित कर एवं उचित परीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया जाये। जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे –

   अ. प्रो. पी.के. बाजपेयी
   ब. प्रो. मनीष श्रीवास्तव
   स. प्रो. व्ही.डी. रंगारी
   द. परीक्षा नियंत्रक
   इ. सहायक कुलसचिव परीक्षा

विषय क्र0–06 छात्र नलीन कुमार, बी.टेक द्वितीय सेमेस्टर द्वारा Engineering Maths II विषय की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में अतिरिक्त पृष्ठ जोड़े जाने के प्रकरण के जांच हेतु गठित समिति के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं दिये गये सुझाव पर विचार करना।

समिति ने प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन किया तथा जानकारी ग्रहण की। समिति ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि प्रकरण को पुनः नकल प्रकरण समिति (UFM) को प्रेषित किया जाये तथा पूरे प्रकरण की स्पष्ट जांच करा ली जाये।

विषय क्र0–07 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्वयं के माध्यम से ऑन–लाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढॉचा) विनियम 2016 को अंगीकृत किये जाने पर विचार करना।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्वयं के माध्यम से ऑन–लाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढॉचा) विनियम 2016 को अंगीकृत किया जाये।

विषय क्र0–08 छात्र किरण पाल सिंह चावला के एम.बी.ए. परीक्षा परिणाम घोषित करने पर विचार करना।

विचारोपरांत समिति ने यह निर्णय लिया कि इतने वर्षों के उपरांत किसी परिणाम की घोषणा किया जाना संभव नहीं है। लंबे समय के उपरांत परिणाम के लिए छात्र द्वारा संपर्क किया जाना शंका पैदा करता है।

अतः यह भी निर्णय लिया गया कि छात्र को पत्र प्रेषित किया जाकर यह पूछा जाये कि क्या उनके पास परीक्षा में शामिल होने अथवा अंक संबंधी कोई जानकारी उपलब्ध है। जानकारी प्राप्त होने पर प्रकरण का तथ्यात्मक परीक्षण कर उचित कार्यवाही की जाये।

पूरक विषय

पूरक वि.क्र. 1 नियमित शिक्षकों को फेकल्टी डेवलपमेंट /लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु अवकाश स्वीकृति के संबंध में नीति निर्धारण बाबत।

स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि अवकाश एवं विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता, प्रावधानों का उल्लेख करते हुये स्पष्ट जानकारी युक्त पत्र प्रशासन शाखा द्वारा जारी किया जाये।

पूरक वि.क्र. 2 B Com - LLB के एक छात्र जिसे विभाग में पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) प्रदान की गयी है को नामांकन प्रदान करने पर विचार।

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया गया कि प्रकरण की तथ्यात्मक जांच करायी जाय। जांच समिति के गठन हेतु विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की अध्यक्षा समिति की ओर से अधिकृत होंगी।

तथ्यात्मक जांच उपरांत प्रतिवेदन स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

पूरक वि.क्र. 3 श्री खम्हन दास भास्कर के अभ्यावेदन तथा इस संबंध में गठित समिति की अनुशंसाओं पर विचार।

निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में, 2010 की VRET परीक्षा के माध्यम से चयनित शोधार्थियों के बिलासपुर विश्वविद्यालय स्थानांतरण संबंधी लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा स्थानांतरित शोधार्थी के संबंध में अद्यतन कृत कार्यवाही की जानकारी बिलासपुर विश्वविद्यालय से मंगायी जाय तथा बिलासपुर विश्वविद्यालय को उपरोक्त उल्लेखित स्थानांतरित शोधार्थियों के शोध पंजीयन की कार्यवाही यथाशीघ्र संपन्न कराये जाने हेतु अनुरोध किया जाये।

पूरक वि.क्र. 4 बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा प्रस्तुत MoU के प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय लिया गया कि MoU से संबंधित दस्तावेज आगे की कार्यवाही हेतु IQAC के माध्यम से प्रस्तुत किया जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि अकादमिक प्लानिंग के लिए गठित समिति की संरचना/गठन को अधिसूचित किया जाय।

पूरक वि.क्र. 5 अर्थशास्त्र विभाग में अध्ययन मण्डल के द्वारा अनुशंसित पाठ्क्रम के अनुमोदन की पुष्टि पर विचार।

निर्णय लिया गया कि अर्थशास्त्र विभाग के अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया गया।

पूरक वि.क्र. 6 सीबीसीएस पद्वति के अंतर्गत निर्मित /प्रस्तावित अध्यादेश का अनुमोदन बाबत्।

स्थायी ने यह अनुभव किया कि विषय क्रमांक 6, 9 एवं 10 में प्रस्तुत प्रस्ताव अध्यादेश के संशोधन से संबंधित है। अतः तीनों विषयों पर एक साथ निर्णय लिया जाये।

अ. स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रारूपन समिति द्वारा अनुशंसित बी. एस.सी, बी.काम. बी.ए. के सीबीसीएस प्रणाली युक्त अध्यादेश को मान्य किया जाये। परन्तु उक्त अध्यादेश को लागू करने के पूर्व प्रभावित विभागों के विभागाध्यक्षों से आवश्यक अधोसंरचना संबंधी जानकारी एवं अभिमत प्राप्त कर लिया जाये। अभिमत प्राप्त होने के उपरांत अधोसंरचना का आंकलन करा लिया जाये। तत्पश्चात ही प्रस्तावित अध्यादेश को लागू किया जाये।

ब. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि फार्मेसी विभाग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को अध्यादेश प्रारूपण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

स. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सभी अध्ययनशालाओं से प्राप्त अध्यादेश के प्रारूपों को भी अध्यादेश प्रारूपण समिति के समक्ष रखा जाय। विभिन्न अध्ययनशालाओं के द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों के ग्रेडिंग प्रणाली में यथासंभव एकरूपता रखे जाने के प्रयास किये जाये।

पूरक वि.क. 7 **फार्मेसी विभाग के पांचवे सेमेस्टर के असफल छात्रों को निर्धारित 04 प्रयासों के बाद एक अतिरिक्त प्रयास प्रदान करने पर विचार।**

निर्णय लिया गया कि अध्यादेश के प्रावधानों के प्रकाश में असफल छात्र/छात्राओं को अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाये।

पूरक वि.क. 8 **फार्मेसी विभाग के छात्र /छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत शुल्क छुट सम्बन्धी आवेदन पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि पुनः प्रवेशित छात्र/छात्राओं से प्रवेश शुल्क पुनः लिया जाय। निर्धारित शुल्क में से परीक्षा शुल्क से छूट प्रदान की जा सकती है।

पूरक वि.क. 9 **प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा प्रस्तुत B.Tech अध्यादेश के संशोधन पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विषय क्रमांक 6 के अंतर्गत लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाय।

पूरक वि.क. 10 **फार्मेसी विभाग के द्वारा प्रस्तुत बी. फार्म एवं एम. फार्म के अध्यादेश के संशोधन पर विचार।**

निर्णय लिया गया कि विषय क्रमांक 6 के अंतर्गत लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाय।

पूरक वि.क. 11 **Non-CBCS विद्यार्थियों द्वारा CBCS based curriculum की परीक्षा दिये जाने पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग यह परीक्षण करें कि प्रभावित छात्र/छात्राओं द्वारा पुराने पाठ्यक्रम के निर्धारित विषयों का अध्ययन करा लिया गया है। यदि कोई विषय शेष हो तो उसका अध्ययन कराकर परीक्षा संपन्न करायी जाय।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि परीक्षा के उपरांत ऐसे छात्रों को पूर्व के **Non-CBCS** पाठ्यक्रम में ही अध्ययन/अध्यापन का कार्य कराया जाये।

पूरक वि.क. 12 **इस विश्वविद्यालय से संबंद्व रहे महाविद्यालयों में स्थापित एवं मान्य शोध केन्द्रों में सत्र 2010–11 में प्रथम VRET के माध्यम से प्री–पीएच0डी0 की नस्ती बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर में स्थानांतरित करने विषयक।**

निर्णय लिया गया कि विषय क्रमांक 3 के अंतर्गत लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये।

पूरक वि.क. 13 **श्री राकेश कुमार कुर्रे को शोध कार्य हेतु समय वृद्धि प्रदान करने पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि शोधार्थी का प्रकरण राज्य शासन के समय प्रचलित अध्यादेश 42 के अधीन है। अतः शोधार्थी को समयावधि में वृद्धि प्रदान किये जाने संबंधी अनुशंसा शोध निर्देशक से प्राप्त किया जाये। शोध निर्देशक की अनुशंसानुसार उचित निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदया सक्षम होंगी।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

1. स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में योग पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन किया जाय। समिति ने यह भी अनुशंसा की है कि योग हेतु पृथक से योग केन्द्र खोलने की प्रकिया प्रारंभ की जाय।
2. प्रबंध अध्ययन विभाग के प्रस्ताव को अकादमिक प्लानिंग हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत शोध प्रवेश सूचना के विरूद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या संबंधी जानकारी स्थायी समिति द्वारा ग्रहण की गई।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव 10/11/16

कुलपति/अध्यक्ष